

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 47/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. (अ).- जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “डाईमेथाइलएसिटामाइड” जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 2924 19 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 249 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार अधिसूचना संख्या 7/11/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 17 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड १ में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/11/2019-डीजीटीआर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020, जिसे दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत मध्यावधि समीक्षा में अपने अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि “डाईमेथाइलएसिटामाइड [एन, एन-डाईमेथाइलएसिटामाइड] (डीएमएसी)” जिसमें निम्नलिखित तकनीकी विशेषताएं पाई जाती हों, और जिनका उद्देश्य स्पैनडेक्स यार्न के उत्पादन में उपयोग किया जाना हो, को अधिसूचना संख्या-14/41/2016-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2018, तत्संबंधी सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के साथ पठित, में अंतिम निष्कर्षों में विचारणीय उत्पाद से बाहर रखा जाएगा, यथा:-

- (i) न्यूनतम शुद्धता (99.9% न्यूनतम) और अधिकतम क्षारीयता स्तर (0.003% अधिकतम);
- (ii) अधिकतम अम्लता स्तर (0.005% अधिकतम);
- (iii) अधिकतम लौह पीपीएम यथा (0.05);
- (iv) अधिकतम जल (0.01% अधिकतम या 100 पीपीएम);
- (v) सुचालकता (0.1 माइक्रो-सीमेंस /प्रति सें.मी. अधिकतम).

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2018-सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 249 (अ.) दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“नोट- इस सारणी के उद्देश्य के लिए, “डाईमेथाइलएसिटामाइड [एन, एन-डाईमेथाइलएसिटामाइड] (डीएमएसी)” जिसमें निम्नलिखित तकनीकी विशेषताएं पाई जाती हों, और जिनका उद्देश्य स्पैनडेक्स यार्न के उत्पादन में उपयोग किया जाना हो, को वस्तुओं के विवरण के दायरे से बाहर रखा जाएगा, यथा:-

- (i) न्यूनतम शुद्धता (99.9% न्यूनतम) और अधिकतम क्षारीयता स्तर (0.003% अधिकतम);
- (ii) अधिकतम अम्लता स्तर (0.005% अधिकतम);
- (iii) अधिकतम लौह पीपीएम यथा (0.05);
- (iv) अधिकतम जल (0.01% अधिकतम या 100 पीपीएम);
- (v) सुचालकता (0.1 माइक्रो-सीमेंस /प्रति सें.मी. अधिकतम)”.

[फाइल संख्या 354/66/2018-टीआरयू- (पार्ट-1)]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार